ने राज्य ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधायें प्रदान की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त संस्थाओं और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों को उनके द्वारा संवितरित पात्र ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त प्रदान करता है । राष्ट्रीय आवास बैंक ने 1989 से एक योजना शुरू की है जिसके तहत अन्यों के साथ साथ अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों तथा साथ ही राज्य स्तरीय सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इसके अलावा राष्ट्रीय आवास बैंक की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये पुनर्वित्त योजना के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से संवितरित पात्र आवास ऋणों के लिये प्रयोजक वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है । 29-1-1993 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा राज्य स्तरीय विकास बैंकों द्वारा जारी विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों में किये गये अंशदान सहित पात्र प्राथमिक ऋणदाताओं को किये गये संचयी संवितरण की रकम 1444.37 करोड़ रुपये थी । इस रकम में राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा अपने पात्र आवास ऋणों के संबंध में जारी किये गये विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों की अंशदान की 175.72 करोड़ रुपये की रकम शामिल है ।

Transfer of funds into investment Account by SBI, Bombay

930. SHRI ANANT RAM JAISWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that State Bank of India, Bombay did not transfer the funds received on account of EPF, Family Pension Fund and EDLIF to Reserve Bank of India in "Investment Account" daily during the years 1989-90 and 1990-91;

(b) whether it is also a fact that Reserve Bank of India did not make investment from out of these deposits in securities in accordance with the approved pattern during the period from 1985-86 to 1989-90 which deprived the State Governments of financial assistance;

(c) if so, what is the amount of loss of interest and amount by which the State Governments were deprived; and

(d) what action has been taken by Government against the officers responsible for such loss?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Permission to bring more gold to NRIs

931. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of FINANCE be pleasde to state:

(a) whether Government intend to increase the quantity of gold which could be brought into India by NRIs;

(b) whether the duty levied on gold brought by tourist is to be reduced further; and

(c) if so, what is the percentage thereof?